Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में लैंगिक समानता में डॉ. भीमराव अबेंडकर के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन

विजया लक्ष्मी जोशी*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तुत शोध आलेख में लैंगिक समानता को परिभाषित कर डॉ. भीमराव अबेंडकर के भारत में लैंगिक समानता हेतु किए गए प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन कर वर्तमान में भारत में लैंगिक समानता की यथार्थ स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया हैं। लैंगिक समानता को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत् विकास हेतु पॉचवा लक्ष्य निर्धारित कर 2030 तक संपूर्ण विश्व में लैंगिक समानता लाने हेतु समस्त विश्व को प्रतिबद्ध किया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर एक न्यायविद, समाज सुधारक, संविधान निर्माता, राजनेता होने के साथ साथ महिलाओं के पुरूषों के समान अधिकारों के कट्टर सर्मथक भी थे। 1927 में उन्होने महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा – **'मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूं।'**

डॉ. भीमराव अबेंडकर ने 1936 में जोगिनी एवं देवदासी प्रथा की आड़ में महिलाओं के यौन षोषण को रोकने हेतु इन प्रथाओं को बंद करने हेतु आवाज उठाई। उन्होंनें भारत में सर्वप्रथम **Mines Maternity Benefit Act** के अधीन खान में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों को पुरूष श्रमिकों के समान वेतन एवं प्रसूति अवकाश का प्रावधान कर लैंगिक समानता में अपना अनूठा योगदान दिया। हिंदू कोड बिल भारत में लैंगिक समानता में डॉ. भीमराव अबेंडकर जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान हैं, इसके अधीन उन्होंने एकल विवाह, महिलाओं को पुरूषों के समान तलाक, दत्तक, संपति में अधिकार हेतु उपबंध कर भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। उन्होनें 'यूनिवर्सल एडल्ट मताधिकार' लागू कर भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाया, उनके प्रभाव के कारण समान वेतन अधिनियम 1976, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पारित हुए। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए उन्होंनें भारतीय संविधान में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने एवं उन्हें विशेषाधिकार दिलानें हेतु विभिन्न अनुच्छेदों जैसे– अनुच्छेद 14, 15(1), 15(3), 16(1), 23, 39, 42, 46, 51–क(ड़), 243घ(3), 243न(3) में उपबंध कर भारत में लैंगिक समानता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने **'मूक नायक'** एवं **'बहिष्कृत भारत'** जैसे समाचार पत्रों की स्थापना कर तत्कालीन भारत में व्यापत महिला विरोधी कुप्रथाओं के खिलाफ इन समाचार पत्रों में लेख लिखकर इन कुप्रथाओं को बंद करने में अपनी महती भूमिका निभाई।

शब्द कुंजी – लैंगिक समानता, भारत में लैंगिक समानता में डॉ. भीमराव अबेंडकर का योगदान, वर्तमान भारत में लैंगिक समानता की वास्तविक स्थिति, विश्लेषणात्मक अध्ययन ।

लैंगिक समानता का अर्थ – लैंगिक समानता को विभिन्न अंतराष्ट्रीय संगठनों द्वारा निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैं–

संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार – लैंगिक समानता का अर्थ महिलाओं और पुरूषों, बालक और बालिकाओं को समान अधिकार, उत्तरदायित्व और अवसर प्राप्त होना हैं।

यूनिसेफ के अनुसार – लैंगिक समानता का अर्थ हैं कि महिलाओं और पुरूषों, लड़कियों और लड़कों को समान अधिकारों और स्वतंत्रताओं, संसाधनों, अवसरों और सुरक्षा का आनंद प्राप्त हो।

लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं हैं कि महिलाएँ और पुरूष एक ही तरह के हो जाएगे। बल्कि यह इस बात पर जोर देता है कि पुरूषों और महिलाओं के अधिकार, जिम्मेदारियाँ और अवसर उनके लिंग पर आधारित नहीं होगें। अर्थात लैंगिक समानता का तात्पर्य यह हैं कि स्त्री–पुरूष में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

जिस प्रकार किसी तराजू में दोनों तरफ बराबर भार रखने पर वह संतुलित होता है, ठीक उसी तरह किसी भी समाज व राष्ट्र में संतुलन बनाने के लिए वहाँ पुरूषों एवम् स्त्रियों के मध्य समानता होना आवश्यक हैं। लैंगिक समानता का प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसा समाज हैं जिसमें महिलाओं और पुरूषों को जीवन के सभी चरणों में समान अवसर, निष्पक्षता और दायित्वों का आनंद मिलता है। वे तभी समान है यदि उनके पास समान अवसर, वित्तीय स्वतंत्रता, शिक्षा तक समान पहुँच, नौकरी, व्यवसाय और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, रूचियों, प्रतिभाओं को विकसित करने के समान अवसर है। लैंगिक समानता को एक मौलिक मानवाधिकार एवं सतत् विकास के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त एवं संकेतक के रूप में माना जाता है। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एजेंडा 2030 के अधीन 17 सतत् विकास लक्ष्यों में लैंगिक समानता को पाँचवा लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समाज के विकास के लिए लैंगिक

समानता अत्यंत आवश्यक है चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा, खेल के क्षेत्र में।

भारत में लैंगिक समानता में डॉ. भीमराव अंबेडकर का योगदान – प्राचीन भारतीय रूढ़िवादी एवं पितृसत्तात्मक समाज में अनेक कुप्रथाए जैसे– सति प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा, देवदासी प्रथा, आदि व्याप्त थी, इसके अतिरिक्त भारतीय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार, पिता एवं पति की सम्पति में उत्तराधिकार का अधिकार, मतदान का अधिकार, पुरूषों के समान तलाक का अधिकार, किसी बालक को गोद लेने का अधिकार नहीं था। नौकरीपेशा स्त्रियों को अपने समान कार्य करने वाले पुरूष श्रमिकों के समान न तो वेतन मिलता था, ना ही उन्हें प्रसूति अवकाश की सुविधा उपलब्ध थी एवं उनकी कार्य की दशाएँ उनकी शारीरिक क्षमता के अनुकूल न होकर अमानवीय थी। इस प्रकार तत्कालीन भारत में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय एवं पाश्विक थी, वह केवल उपभोग का साधन मात्र थी। अत: तत्कालीन भारतीय समाज में लैंगिक समानता नाममात्र भी विद्यमान नहीं थी। डॉ. भीमराव अंबेडकर तत्कालीन भारत में महिलाओं की इस दयनीय स्थिति से बेहद आहत थें, उन्होंने समाज सुधारक, राजनेता, विधिमंत्री एवं भारतीय संविधान निर्माता के रूप में कार्य करते हुए महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, कानूनी तौर पर उन्हें विभिन्न अधिकार प्रदान कर सशक्त करने में एवं अनेक महिला विरोधी कुप्रथाओं का दमन करने में अहम भूमिका निभाकर भारत में लैंगिक समानता लानें में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसे निम्नांकित बिंदुओं की सहायता से समझा जा सकता है–

- डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने समाचार पत्रों **'मूकनायक'** और **'बहिष्कृत भारत'** में महिला उत्पीड़न एवं अन्य महिला केन्द्रित मुद्दों पर विस्तार से लिखकर भारतीय जनता एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जाग्रत किया। 'मूकनायक' तथा 'बहिष्कृत भारत' ने भारतीय समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता के विरूद्ध आवाज उठाने के कारण काफी प्रसिद्धि पाई। उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथों **'The women and the counter revolution', 'The rise and fall of hindu women'** में भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को यथार्थ रूप से चित्रित किया जो उनकी लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता हैं।
- उनके विचारों से प्रभावित होकर स्त्रियों ने उनके साथ अनेक आंदोलनों जैसे– **महाड़ सत्याग्रह कालाराम मंदिर सत्याग्रह**, में बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। कालाराम मंदिर सत्याग्रह जो कि 1930 में नासीक में हुआ था, उसमें 500 महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। 1928 में उनसे प्रभावित होकर महिलाओं ने उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमाबाई की अध्यक्षता में 'वुमन एसोसिएशन' की नींव रखी, 1940 में उनसे प्रभावित होकर महिलाओं को राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए 'All India Depressed Classes Mahila Federation' का गठन किया गया। उनसे प्रेरित होकर तुलसीबाई नामक महिला ने 'चोखा मेला' नामक समाचार पत्र शुरू किया तथा डेविड नामक व्यक्ति जो एक वैश्यागृह का दलाल था उसने वह निकृष्ट कार्य छोड़ दिया (Singariya, 2014, p.3)। उन्होनें बालविवाह, देवदासी, जोगिनी जैसी कुप्रथाओं का पुरजोर विरोध किया।
- उन्होंने बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए Maternity Benefit Bill को पुर:स्थापित किया तत्पष्चात श्रममंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने पूरे देश के लिए **'Mines Maternity Benefit Act'** पारित कराकर सर्वप्रथम भारत में खानों में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों को प्रसूति अवकाश एवं उन्हें पुरूष श्रमिकों के समान वेतन का अधिकार प्रदान किया। वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य रहते हुए उन्होंने महिला श्रमिकों के लिए हितकारी प्रावधान जैसे– महिला श्रमिकों का खतरनाक कार्यों के लिए नियोजन का प्रतिषेध, उनके काम के घण्टें कम करना इत्यादि किए। बाद में उन्हीं की प्रेरणा से समान वेतन अधिनियम 1976, वुमन लेबर प्रोटेक्शन एक्ट आदि पारित किए गए जो भारत में लैंगिक समानता हासिल करने में महत्वपूर्ण कारक साबित हुए।
- उन्होंने **'यूनिवर्सल एडल्ट मताधिकार'** संविधान के द्वारा लागू कर भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार दिलाया। आजादी के पहले केवल 13 प्रतिशत भारतीय नागरिकों को मतदान देने का अधिकार था, तब भी उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की मांग रखी।
- स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में कार्य करते हुए भारत में लैंगिक समानता लाने में उनका सबसे बड़ा योगदान **'हिन्दू कोड बिल'** था। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय हिन्दू समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने एवं उन्हें पुरूषों के समान अधिकार प्रदान करने वाला हिन्दू कोड बिल 1951 में संसद में पेश किया। हिन्दू कोड बिल के मुख्यत: दो उद्देश्य थे– पहला महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, दूसरा भारतीय हिन्दू समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता को समाप्त करना। तत्कालीन हिन्दू समाज में पुरूषों को बहुविवाह करने की स्वतंत्रता थी, स्त्रियों को न तो शिक्षा का अधिकार और ना ही पिता एवं पति की सम्पति में कोई उत्तराधिकार प्राप्त होता था, वे अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकती थी, उन्हें किसी बालक को गोद लेने का अधिकार नहीं था। हिन्दू कोड बिल में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने स्त्रियों की पाश्विक दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए–

1. हिन्दू कोड बिल में हिन्दू पति एवं पत्नी को तलाक के समान अधिकार के साथ–साथ स्त्रियों को अपने पति से तलाक लेने के लिए अतिरिक्त आधार दिए गए। (धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम)
2. इसमें हिंदू पुरूषों द्वारा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा कर एकल विवाह के नियम को उपबंधित किया गया। (धारा 5, 17 हिंदू विवाह अधिनियम)
3. इसमें स्त्रियों के विवाह की उम्र 15 वर्ष से बढाकर 18 वर्ष करने का प्रावधान किया गया। (धारा 5 हिंदू विवाह अधिनियम)
4. इसमें हिंदू पत्नियों को अपने पति से भरण–पोषण का अधिकार प्रदान किया गया यहाँ तक कि वे अपने पति से तलाक के बाद भी एवं बिना तलाक के उचित कारण से अपने पति से अलग रहते हुए भी भरण–पोषण प्राप्त कर सकती थी।
5. इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम हिंदू पत्नियों को पतियों के समान दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना एवं न्यायिक पृथ्थकरण का अधिकार प्रस्तावित किया गया। (धारा 9, 10 हिंदू विवाह अधिनियम)
6. इसके द्वारा हिन्दू स्त्रियों को सम्पति का अधिकार एवं उन्हें अपने पिता तथा पति की संपति में उनकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया गया।
7. इसके द्वारा अंतरजातीय विवाह को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई।
8. इसमें हिंदू स्त्रियों को पुरूषों के समान किसी भी जाति के बालक को गोद लेने का अधिकार तथा विधवा महिलाओं को दत्तक लेने का

अधिकार प्रदान किया गया।

किन्तु दुर्भाग्य से यह बिल पास न होने के कारण अंबेडकर जी ने अपने विधि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इतना बड़ा कदम भारत में लैंगिक समानता लाने की उनकी प्रबल ईच्छाषक्ति को दर्शाता है। तत्पष्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल को चार भागों हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 में बाँटकर पारित किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 एक हिन्दू स्त्री को अपनी संपति की पूर्ण स्वामिनी घोषित करती है इससे पूर्व उन्हें अपने जीवन पर्यन्त तक संपति के केवल कब्जे एवं उपभोग का अधिकार था वे उसे अपनी ईच्छानुसार व्ययन नहीं कर सकती थी उनकी मृत्यु के बाद वह संपति उसके पति के वारिसों में चली जाती थी जो उसके पूर्ण स्वामी कहलाते थें। हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6क हिन्दू स्त्री को अपने 5 वर्ष तक की आयु के बच्चें का प्राकृतिक संरक्षक घोषित करती हैं। हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन एक अविवाहित स्त्री तथा एक विवाहित स्त्री को अपनी ओर से किसी बालक को गोद लेने का अधिकार प्रदान किया गया है।

- संविधान की प्रारूप समीति के अध्यक्ष के रूप में उन्होने भारतीय महिलाओं को पुरूषों के समान स्थिति मे लाने के लिए उनके प्रति होने वाले भेदभाव को मिटाने एवम् उन्हें सशक्त करने हेतु उन्हें विशेषाधिकार प्रदान कर लैंगीक समानता लाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध इसका जीवंत साक्ष्य है–

1. अनुच्छेद 14 में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया हैं।
2. अनुच्छेद 15(1) में केवल लिंग के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव को प्रतिषेध किया गया हैं।
3. अनुच्छेद 15(3) राज्य को केवल महिलाओं के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति देता हैं।
4. अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल लिंग के आधार पर किसी नागरिक को अयोग्य ठहराए जाने एवं उसके साथ भेदभाव किए जाने का प्रतिषेध करता हैं।
5. अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन महिलाओं को यौन शोषण के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार, कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन शोषण के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार, बलात्कार एवं यौन शोषण से पीड़ित महिला को प्रतिकर का अधिकार, महिलाओं की अपनी ईच्छा से विवाह करने एवं संतान उत्पन्न करने का अधिकार जैसे कई अधिकार प्रदान किए गए हैं।
6. अनुच्छेद 21क 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों जिसमें लड़कियॉ भी शामिल है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता हैं।
7. अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है जिसमें महिलाओं की खरीद–फरोख्त, उनका अनैतिक व्यापार, वैश्यावृति आदि शामिल हैं।
8. अनुच्छेद 39(क) पुरूष और स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का, अनुच्छेद 39 (घ) पुरूष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार सुनिश्चित कराने का राज्य को निर्देश देता हैं।
9. अनुच्छेद 39 (ड़) राज्य को यह निर्देश देता हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरूपयोग न हों।
10. अनुच्छेद 42 में राज्य को काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने एवं महिला कर्मकारों हेतु प्रसूति सहायता का उपबंध करने का निर्देश दिया गया हैं।
11. अनुच्छेद 44 में राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण–पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्म की महिलाओं हेतु समान अधिकार सुनिश्चित कर लैंगिक समानता को बढ़ावा देगी। संविधान सभा में जब बॉम्बे राज्य के सदस्य मीनू मसानी के द्वारा एक समान सिविल संहिता को संविधान मे शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया तो डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसका समर्थन किया किन्तु बहुसंख्या में इसके विरोध के कारण इसे नीति निदेशक तत्वों में शामिल करना पड़ा।
12. संविधान के भाग 4क मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 51क(ड़) में सभी भारतीय नागरिकों पर यह मूल कर्तव्य अधिरोपित किया गया हैं कि वे ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो।
13. अनुच्छेद 243घ(3) में प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों का कम से कम एक तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।
14. अनुच्छेद 243घ(4) में ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद स्त्रियों हेतु आरक्षित रखने का उपबंध किया गया है।
15. अनुच्छेद 243न(3) में प्रत्येक नगरपालिका मे कम से कम एक तिहाई स्थान स्त्रियों हेतु आरक्षित रखने का एवं अनुच्छेद 243न(4) में नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद स्त्रियों हेतु आरक्षित रखने का उपबंध किया गया है।
16. अनुच्छेद 325 में केवल लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराने का प्रतिषेध किया गया है।

इस प्रकार भारतीय संविधान में न केवल उन्होनें महिलाओं को समानता की गांरटी दी अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने की षक्ति देकर लैंगिक समानता को स्थापित करनें में अपनी महती भूमिका निभाई।

निष्कर्ष एवं सुझाव – निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि भारत में लैंगिक समानता की नींव डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रखी गई थी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए तत्पश्चात् लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु अनेक अधिनियम जैसे– घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971, समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम 1976 आदि पारित किए गए एवं महिलाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाए जैसे– उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेन्टर, लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना षुरू की गई किन्तु फिर भी

हम डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के भारत में पूर्णत: लैंगिक समानता लाने के स्वपन को साकार करने में विफल रहे हैं वर्तमान में भी भारतीय स्त्री घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बालविवाह, बलात्कार, कार्यस्थल पर असुरक्षा तथा यौन शोषण, भेदभाव का शिकार हो रही हैं। **जेंडर गेप रिपोर्ट 2023** के अनुसार भारत लैंगिक समानता के मामले में कुल 146 देशों में से **127वें** स्थान पर रहा। **World Inequality Report 2022** के अनुसार भारत में कुल श्रमिक आय में पुरूषों का हिस्सा **82%** जबकि महिलाओं का हिस्सा केवल **18%** हैं। ILO के अनुसार भारत में महिला कर्मचारी पुरूष कर्मचारियों कें मुकाबले 35% तक कम वेतन प्राप्त कर रही है। अंतर संसदीय संघ और संयुक्त राष्ट्र महिला की एक रिपोर्ट के अनुसार संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या के मामलें में भारत 193 देशों के बीच 148वें स्थान पर था। इन विषम परिस्थितियों में लैंगिक समानता लाने के लिए हमारे भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक सोच में बदलाव लाने, भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन करने, लैंगिक समानता का समर्थन करने वाले कानूनों को कड़ाई से लागू करने एवं वर्तमान युवा पीढ़ी में लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता पैदा करने की अत्यंत आवश्यकता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Drishti IAS (2022, August 20). भारत में महिलाओं की स्थिति. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-editorials/status-of-women-in-India.
2. Datta, Runi (2019). Emancipating and Strengthening Indian Women: An Analysis Of B.R. Ambedkar's Contribution. *Contemporary Voice Of Dalit*, 11(1), 25-32.
3. Menndiratta M. & Pandey S. (2020). DR. B.R. AMBEDKAR AND WOMEN EMPOWERMENT IN MODERN INDIA. *Journal for law students and Researchers*, 1(4).
4. मिस्बाह (2023ए December 6). आजाद भारत में अंबेडकर ने रखी लैंगिक समानता की नींव. रविवार विचार. https://ravivarvichar.in/nazariya/b-r-ambedkar-feminism-indian-women-right-to-vote-divorce-property-rights-gender-equality-1779758.
5. पाण्डेय, डॉ. जय नारायण (2009). भारत का संविधान. इलाहाबाद. सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी.
6. केसरी, डॉ. यू. पी. डी. (2019). हिन्दू विधि. सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स.
7. NEXT IAS Content Team (2024, February 21). भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता. https://www.nextias.com/blog.
8. Singariya, M.R. (2014). Dr. B.R. Ambedkar and women empowerment in India. *Quest Journals*, *Journal of Research in Humanities and Social Science*, 2(1), 1-4.

****